

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 21.09.2023

दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर के नेतृत्व में, व0उ0नि0 अशोक यादव थाना शाहपुर गोरखपुर मय टीम द्वारा थाना शाहपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 469/23 धारा 376,406,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रतन लाल सोनकर पुत्र नन्दलाल सोनकर निवासी वासदेवपुर थाना औराई जिला भदोही को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त रतन लाल सोनकर पुत्र नन्दलाल सोनकर निवासी वासदेवपुर थाना औराई जिला भदोही द्वारा लोन दिलाने के बहाने शादी का झांसा देकर तीन वर्षों से शारीरिक शोषण किया गया, जिसके सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा थाना स्थानीय पर प्राप्त प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके आधार पर मु0अ0सं0 469/2023 धारा 376,406,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 469/2023 धारा 376,406,506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रतन लाल सोनकर पुत्र नन्दलाल सोनकर निवासी वासदेवपुर थाना औराई जिला भदोही

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. व0उ0नि0 अशोक यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 राजकपूर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. का0 राजेन्द्र कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
5. का0 नरेन्द्र यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर